

[2010] 12 एस. सी. आर 895

कर्नाटक राज्य

बनाम

आज़ाद कोच बिल्डर प्रा.लि. और एक अन्य

(2000 की सिविल अपील संख्या 5616-5617 आदि)

सितंबर 14, 2010

**[एस. एच. कपाडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी. सुदर्शन रेड्डी, के. एस. पैनिकर
राधाकृष्णन, सुरिंदर सिंह निज्जर और स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्तिगण]**

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 -धारा 5 (3) आर./डब्ल्यू. संविधान का अनुच्छेद 286-निर्यात के दौरान अंतिम बिक्री के रूप में वस्तुओं की बिक्री पर कर की छूट-आयोजित:जब पक्षों के बीच स्थानीय बिक्री या खरीद को वस्तुओं के निर्यात के साथ अटूट रूप से जोड़ा जाता है, तो छूट का दावा धारा5(3) के अंतर्गत न्यायसंगत है-ऐसे मामले में, 'समान वस्तु' सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है-वस्तुओं की अंतिम बिक्री और निर्यात के बीच का संबंध वास्तविक, अंतरंग और आपस में जुड़ा होना चाहिए और सामयिक, आकस्मिक या दैवाधिन नहीं होना चाहिए-इस तरह का संबंध स्थापित करने का बोझ निर्धारिती पर है-मामले के तथ्यों में, निर्धारिती ने स्थापित किया है कि निर्धारिती और निर्यातक के बीच लेनदेन अभिन्न रूप से माल के निर्यात से जुड़ा हुआ है, और इसलिए, धारा 5(3) - भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 286 के तहत छूट के लिए पात्र है।

निर्धारिती से निर्यातक द्वारा विदेशी खरीदार द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार बस की बॉडी का निर्माण करने का अनुरोध किया गया था। निर्धारिती को निर्यातक

द्वारा आपूर्ति की गई चेसिस पर विनिर्देशों के अनुसार बस की बॉडी बनाने के लिए कहा गया था। निर्धारिती, बस की बॉडी का निर्माण करने के बाद, इसे निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई चेसिस पर स्थापित करता है, जिससे यह एक पूर्ण बस के रूप में निर्यात के लिए तैयार हो जाती है। निर्धारिती ने बस की बॉडी की बिक्री पर छूट का दावा किया। आकलन प्राधिकारी ने इस दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 'बस की बॉडी' और 'बसें' दो अलग-अलग वस्तुएं थीं और निर्यात 'बस की बॉडी' का नहीं बल्कि 'बसें' का था और इस प्रकार लेनदेन बी छूट 5(3) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के लिए पात्र अंतिम बिक्री के बराबर नहीं हो सकता था।। अपील में, अपीलीय प्राधिकरण ने कर लगाने को बरकरार रखा। अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी लेवी को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती के अंतर्गत छूट के लाभ के लिए पात्र था 5(3) अधिनियम।

अपील में, सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ ने महसूस किया कि *स्टर्लिंग फूड्स बनाम कर्नाटक राज्य और विजय/लक्ष्मी काजू कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी मामलों* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को *गोपीनाथ नायर बनाम केरला राज्य के फैसले* के आलोक में नए सिरे से देखने की आवश्यकता है और मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया। वृहद पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखा।

संदर्भ का जवाब देते हुए और अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) में कहा गया है कि किसी राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर बिक्री कर नहीं लगाएगा या उसे लागू करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा जब ऐसी बिक्री या खरीद माल के निर्यात के दौरान होती है। अनुच्छेद 286 (2) संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने के लिए अधिकृत करता है कि बिक्री कब आयात/निर्यात के क्रम में है। माल की बिक्री या खरीद को

भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में केवल तभी माना जाता है जब बिक्री या खरीद या तो इस तरह के निर्यात के अवसर पर या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बाद माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होती है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 286 (1) के तहत, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा "भारत के क्षेत्र से बाहर माल के आयात या निर्यात के दौरान" माल की बिक्री या खरीद पर कोई कर लगाया जा रहा है। राज्य द्वारा बिक्री कर लगाए जाने का विरोध करने के लिए, निर्धारिती को भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात किए जाने के लिए बेचे जाने वाले माल की पहचान स्थापित करनी होगी। किसी निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए, यदि कोई निर्यातक माल खरीदता है और कुछ प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप, माल की पहचान और चरित्र बदल जाता है, तो यह उसी माल के निर्यात का मामला नहीं होगा। [पैरा 18] [908-जी-एच; 909-ए-डी]

2. 'निर्यात के दौरान बिक्री' वाक्यांश में अपने आप में तीन आवश्यक तत्व शामिल हैं: (i) यह निश्चित रूप से एक बिक्री होनी चाहिए; (ii) वस्तुओं का वास्तव में निर्यात किया जाना चाहिए और (iii) बिक्री निर्यात का एक हिस्सा होना चाहिए। 'अवसर' शब्द का उपयोग एक क्रिया के रूप में किया जाता है और इसका अर्थ है 'कारण बनाना' या 'तत्काल कारण बनना'। इसलिए, 'निर्यात का अवसर' शब्दों का अर्थ उन कारकों से है, जो निर्यात का तत्काल कारण थे। 'समझौते का पालन करना'; 'नहीं' या 'आदेश' शब्दों का अर्थ उन सभी लेनदेनों से है जो उस निर्यात के अवसर पर समझौते या आदेश से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अभिव्यक्ति 'के संबंध में'। व्यापकता के शब्द हैं, जिनका प्रत्यक्ष महत्व होने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष महत्व भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है और वे प्रतिबंधात्मक सामग्री के शब्द नहीं हैं और उनका इतना अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए, यह परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या स्थानीय बिक्री या निर्यात पर खरीद के बीच कोई असंबद्ध संबंध है और यदि यह स्पष्ट है कि पक्षों

के बीच स्थानीय बिक्री या खरीद वस्तुओं के निर्यात के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, तो धारा 5(3) के तहत राज्य बिक्री कर से छूट के लिए न्यायसंगत है, इस मामले में, 'वही सामान' सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है जैसा कि * सर्फलिंग फूड्स और * * विजय लक्ष्मी काजू कंपनी के मामलों में प्रतिपादित किया गया है। [कंडिका 24 और 25] [913-ए-ई]

*स्टर्लिंग फूड्स, एक साझेदारी फर्म जिसका प्रतिनिधित्व इसके भागीदार श्री रमेश दलपतराम बनाम कर्नाटक राज्य और अन्न ने किया। (1986) 3 एससीसी 469; ** विजयलक्ष्मी काजू कंपनी और अन्य बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक अन्य (1996) 1 धारा 468, लागू न होने योग्य

3. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विश्लेषण पर और 1976 के संशोधन अधिनियम 103 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के आलोक में, जिसके द्वारा - 5(3) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम को जोड़ा गया और धारा 5 (3) पर दी गई व्याख्या पर निम्नलिखित सिद्धांत सामने आए:

निर्यात के क्रम में बिक्री का गठन करने के लिए, खरीदार और विक्रेता दोनों की ओर से निर्यात करने का इरादा होना चाहिए

निर्यात का दायित्व होना चाहिए और वास्तविक निर्यात भी होना चाहिए।

दायित्व एक कानून, पक्षों के बीच अनुबंध, या उनके बीच आपसी समझ या समझौते से, या यहां तक कि लेनदेन की प्रकृति से भी उत्पन्न हो सकता है जो बिक्री को निर्यात से जोड़ता है।

अवसर निर्यात के लिए, बिक्री के अनुबंध और वास्तविक निर्यात के बीच एक ऐसा बंधन होना चाहिए, कि प्रत्येक संबंध उसके तुरंत पहले वाले के साथ अटूट रूप से

जुड़ा हो, जिसके बिना एक लेनदेन बिक्री को भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान बिक्री नहीं कहा जा सकता है। [कंडिका 23] [912-डी-एच; 913-ए]

4. माल की बिक्री या खरीद से संबंधित लेन-देन में कड़ी स्थापित करने और यह स्थापित करने का बोझ पूरी तरह से निर्धारिती पर है कि अंतिम बिक्री निर्यातक द्वारा विदेशी खरीदार को माल के निर्यात के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जिसे तत्काल मामले में निर्धारिती स्थापित करने में सफल रहा है। [कंडिका 27] [914-सी-डी]

5. यह कहना सही नहीं है कि माल की प्रकृति की परवाह किए बिना, निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए की गई किसी भी अंतिम बिक्री को भी शामिल किया जाएगा। यह सब इस सवाल पर निर्भर करता है कि क्या बिक्री या खरीद अभिन्न रूप से माल के निर्यात से जुड़ी है न कि दूरस्थ संबंध से। अंतिम बिक्री और वस्तुओं के निर्यात के बीच संबंध सामयिक, आकस्मिक या देवाधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक, अंतरंग और परस्पर जुड़ा होना चाहिए, जो निर्यातक के विदेशी खरीदार और स्थानीय निर्माता के साथ समझौते की प्रकृति, लेनदेन की एकीकृत प्रकृति और अंतिम बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच संबंध पर निर्भर करता है। तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्धारिती इन परीक्षाओं को संतुष्ट करने में सफल रहा है और इसलिए पात्र है। सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत छूट के लिए। [कंडिका 28 और 29] [914-डी-एच]

6. तत्काल मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्धारिती और निर्यातक के बीच लेनदेन वस्तुओं के निर्यात से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। विदेशी खरीदार और निर्यातक के बीच संचार से पता चलता है कि विदेशी खरीदार चाहता था कि विदेशी खरीदार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के तहत निर्धारिती द्वारा बस की बॉडी का निर्माण किया जाए। निर्धारिती द्वारा निर्मित और निर्मित बस की बॉडी स्थानीय बाजार में किसी भी तरह से उपयोगी नहीं हो सकते थे, लेकिन विशेष रूप से विदेशी खरीदार के विनिर्देशों और

आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किए गए थे। निर्यातक द्वारा निर्धारिती पर रखे गए खरीद आदेश में, यह विशेष रूप से इंगित किया गया है कि बस की बॉडी का निर्माण विदेशी खरीदार द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाना है, ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्यात आदेश रद्द हो सकता है। तत्काल मामले में, निर्धारिती यह दिखाने में सफल रहा है कि बस की बॉडी की बिक्री ने माल के निर्यात को प्रेरित किया है। जब निर्धारिती और निर्यातक के बीच लेनदेन और निर्यातक और विदेशी खरीदार के बीच लेनदेन एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़े होते हैं, तो 'समान वस्तु' सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं होता है। [कंडिका 26] [913-एफ-एच; 914-ए-सी]

के. गोपीनाथन नायर और अन्य बनाम केरला राज्य (1997) 10 एस. सी. सी. 1; कृषि आयकर और बिक्री कर उपायुक्त, एर्नाकुलम बनाम भारतीय विस्फोटक लिमिटेड (1985) 4 धारा 119 को बरकरार रखा गया।

मो. सेराजुद्दीन और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (1975) 2 एस. सी. सी. 47; समेकित कॉफी लिमिटेड और बनाम कॉफी बोर्ड, डी बेंगलोर (1980) 3 एस. सी. सी. 358; बिनानी ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (1974) 1 एससीसी 459; सतनाम ओवरसीज (एक्सपोर्ट) अपने पार्टनर और अन्य के माध्यम से। हरियाणा और अन्न राज्य। (2003) 1 एस. सी. सी. 561; कॉफी बोर्ड, बेंगलोर बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास और एक अन्य (1969) 3 एस. सी. सी. 349-संदर्भित

वाद कानून संदर्भ:

(1975) 2 एस सी सी 47	का उल्लेख किया गया	कंडिका 2
(1980) 3 एस सी सी 358	का उल्लेख किया गया	कंडिका 3
(1986) 3 एस सी सी 469	लागू नहीं होती	कंडिका 3

(1996) 1 एस सी सी 468	लागू नहीं होती	कंडिका 4
(1997) 10 एस सी सी 1	को बरकरार रखा गया	कंडिका 5
(1974) 1 एस सी सी 459	का उल्लेख किया गया	कंडिका 12
(2003) 1 एस सी सी 561	का उल्लेख किया गया	कंडिका 12
(1969) 3 एस सी सी 349	का उल्लेख किया गया	कंडिका 12
(1985) 4 एस सी सी 119	को बरकरार रखा गया	कंडिका 21.

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2000 की सिविल अपील सं. 5616-5617

1998 के सी. ए. सं. 1518 और 1998 के 1546 से 1553 में नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 9.2.1999 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

2000 का सी.ए. संख्या 6594-6598

गुलाम ई. वाहनवती, ए. जी., सोली जे. सोराबजी, ध्रुव मेहता, एस. के. बागरिया, पी.एस. नरसिम्हा, निशांत पाटिल, मिहिर चटर्जी, रोहित शर्मा, नल्ला जंग, संजय आर. हेगड़े, रमेश के. मिश्रा, क्रैटिन जोशी, रमेश एस. जाधव, विक्रान्त यादव, अभिषेक मालवीय, एम. एन. शंकरगौड़ा, ई. सी. विद्या सागर, नितिन मेशराम, ब्रह्मजीत मिश्रा, प्रीतेश कपूर, ई. आर. कुमार, एन. प्रसाद नित्य बागरिया, सुमित गोयल, रुक्मिणी बोबडे (पारेख एंड कंपनी के लिए), यशोधरा आनंद, आर. के. गौतम और सर्व मितर मित एंड मितर कंपनी के लिए उपस्थित पक्षों के लिए

न्यायालय का निर्णय दिया गया

के. एस. राधाकृष्णन न्यायमूर्ति 1. इस मामले में जो प्रश्न विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या कोई निर्धारिती (स्थानीय निर्माता) केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत छूट प्राप्त करने का पात्र है (संक्षेप में 'सी. एस. टी. अधिनियम'), यदि निर्यातक के पक्ष में की गई अंतिम बिक्री भारत के क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात से अटूट रूप से जुड़ी हुई है।

2. इस न्यायालय ने मो. सेराजुद्दीन और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (1975) 2 एस. सी. सी. 47 ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 286 के तहत, जो बिक्री राज्य बिक्री कर के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं थी, वह केवल निर्यातक द्वारा वास्तविक बिक्री थी, लेकिन निर्यात बिक्री का लाभ निर्यात के उद्देश्य से भारतीय निर्यातक को अंतिम बिक्री तक नहीं वैधता थी। इसके परिणामस्वरूप 1976 के संशोधन अधिनियम 103 द्वारा सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) को शामिल किया गया, जो 1.4.1976 से प्रभावी था, जिसके तहत वस्तुओं के निर्यात के लिए अंतिम बिक्री या खरीद को राज्य शुल्क से छूट दी गई थी।

3. संशोधित अधिनियम का दायरा बाद में कंसोलिडेटेड कॉफी लिमिटेड और अन्य बनाम कॉफी बोर्ड, बेंगलोर (1980)3 एस सी सी 358 मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया और एक विवाद उठाया गया कि उप-धारा(3) सी एसटी अधिनियम की धारा 5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 282(2) के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी और धारा 5(3) में आने वाली अभिव्यक्ति ऐसे निर्यात के दौरान भी मानी जाएगी का उद्देश्य यह बताना था कि अंतिम बिक्री को भी ऐसे निर्यात के दौरान माना जाएगा। न्यायालय ने माना कि उपरोक्त अभिव्यक्ति का उद्देश्य यह बताना है कि अंतिम बिक्री भी इसे निर्यात के क्रम में माना जाता है और माना जाता है कि 5 की उप-धारा(3) संविधान के अनुच्छेद 286(2) के दायरे में है। स्टर्लिंग फूड्स एक पार्टनरशिप फर्म, जिसका प्रतिनिधित्व

उसके पार्टनर श्री रमेश दल पतराम कर्नाटक राज्य और अन्य(1986)3 एस सी सी 469 ने किया था, में इस न्यायालय की तीन न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने भी उपर्युक्त प्रावधान के दायरे की जाँच की। उस मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या निर्धारिती झींगा श्रिम्प, झींगा मछली और केकड़ा की खरीद के संबंध में सी एसटी अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा(3) को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि जो सामान एक निर्धारिती द्वारा निर्यात के संबंध में समझौते या आदेश के अनुपालन के उद्देश्य से खरीदा जाता है, वही समान होना चाहिए जो भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात किया जाता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह परीक्षण यह निर्धारित करने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि प्रसंस्करण के अधीन कोई वस्तु अपने मूल चरित्र को बरकरार रखती है या नहीं और यह पहचानती है कि क्या संसाधित वस्तु को उन लोगों द्वारा व्यापार में अलग माना जाता है जो इसका व्यापार करते हैं। मूल वस्तु से पहचान या उसे व्यावसायिक औश्र व्यापार में मूल वस्तु के समान ही माना जाता है।

4. विजयलक्ष्मी काजू कंपनी और अन्य बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक अन्य (1996) 1 एस. सी. सी. 468 में, प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या कच्चे काजू से प्राप्त काजू की गुठली का निर्यात उन वस्तुओं के निर्यात के बराबर होगा जिन्हें खरीदा गया था। न्यायालय ने कहा कि चूंकि कच्चे काजू का उपयोग इतने सारे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और गुठली निकालने की प्रक्रिया इतनी विस्तृत है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम बिक्री में खरीदी गई वस्तु (कच्चे काजू) वही वस्तु (काजू गुठली) थी जो निर्यातक को बेची गई थी। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि काजू की गुठली कच्चे काजू के समान नहीं हैं।

5. स्टर्लिंग फूड्स (ऊपर) और विजयलक्ष्मी काजू कंपनी (ऊपर) अनिवार्य रूप से अलग-अलग तथ्य स्थितियों में "एक ही वस्तु" सिद्धांत की वकालत कर रही थी। बाद में,

के. गोपीनाथन नायर और अन्य बनाम केरल राज्य (1997) 10 एस. सी. सी. 1 मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल की जांच की कि क्या भारतीय काजू निगम (संक्षेप में 'सी. सी. आई.') से निर्धारिती द्वारा किए गए अफ्रीकी कच्चे काजू की खरीद आयात के क्रम में है और इसलिए केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत कर के दायित्व से मुक्त है। उस मामले में, तथ्यों पर अदालत ने पाया कि कोई गोपनीयता नहीं था एक ओर स्थानीय उपयोगकर्ताओं और दूसरी ओर विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध की गोपनीयता और यह अभिनिर्धारित किया कि उन दोनों लेनदेनों को इतना अभिन्न रूप से परस्पर जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है कि कच्चे काजू के आयात के दौरान एक समग्र लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है। अदालत ने कहा कि सी. सी. आई. द्वारा स्थानीय उपयोगकर्ताओं को की जाने वाली बिक्री सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (2) द्वारा संलग्न छूट प्रावधानों के दायरे से बाहर है, क्योंकि स्थानीय उपयोगकर्ताओं और विदेशी निर्यातकों के बीच अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी।

6. मेसर्स आज़ाद कोच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, निर्धारिती को निर्यातक, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा विदेशी खरीदार, लंका अशोक लेलैंड लिमिटेड, कोलंबो द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार बस की बॉडी का निर्माण करने का अनुरोध किया गया। निर्यातक द्वारा निर्धारिती पर रखे गए खरीद आदेश की दिनांक 11.7.1988 की नमूना प्रति से पता चला कि निर्धारिती को विदेशी खरीदार द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार निर्यातक द्वारा आपूर्ति की गई चेसिस पर बस की बॉडी बनाने के लिए कहा गया था। विदेशी खरीदार से प्राप्त संचार में से एक में यह निर्धारित किया गया था कि बस की बॉडी के इस्पात और एल्यूमीनियम पैनलों का निर्माण निर्धारिती द्वारा किया जाए क्योंकि श्रीलंका में ग्राहक उन्हें पसंद करते हैं। निर्धारिती ने तदनुसार बस की बॉडी का निर्माण किया, 5 विदेशी खरीदार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार और इसे निर्यातक

द्वारा उपलब्ध कराई गई चेसिस पर लगाया जाता है जिससे यह निर्यात के लिए पूरी तरह से तैयार बस बन जाती है।

7. निर्धारिती ने बस की बॉडी की बिक्री पर छूट का दावा किया टेल्को बॉम्बे और अन्य जैसे अपने ग्राहकों को किए गए निर्यात के दौरान उपान्तिम बिक्री के रूप में, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेनदेन को अंतरराज्यीय बिक्री के रूप में मानते हुए, इस आधार पर कि 'बस की बॉडी' और 'बसें' दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और बस की बॉडी को निर्यात नहीं किया गया था, बल्कि पूर्ण बसें थीं। निर्धारण प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि लेन-देन सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत छूट के लिए पात्र अंतिम बिक्री के बराबर नहीं हो सकते हैं।

8. 21.3.1995 दिनांकित मूल्यांकन आदेश से व्यथित, निर्धारिती ने कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957 की धारा 20 (5) के तहत वाणिज्यिक कर (अपील), बेंगलूर डिवीजन के संयुक्त आयुक्त से संपर्क किया। अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि निर्यात की गई वस्तुएं खरीदी गई वस्तुओं से अलग थीं और इसलिए, निर्धारिती सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत छूट का हकदार नहीं था। मामला कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में लिया गया था और अपील को 14.8.1996 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

9. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, निर्धारिती ने इस मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 1997 की एस.टी.आर.पी सं. 4 के माध्यम से उठाया। निर्यातक और विदेशी खरीदार के बीच समझौते और निर्धारिती पर निर्यातक द्वारा दिए गए आदेश की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निर्धारिती द्वारा निर्यातकों को आपूर्ति की गई बस की बॉडी निर्यात के क्रम में थे और "ऐसे निर्यात के संबंध में" शब्दों ने छूट का दायरा इस हद तक बढ़ा दिया कि भले ही

कोई समझौता या आदेश न हो लेकिन वे ऐसे निर्यात के संबंध में हों, फिर भी सीएसटी अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा कि निर्धारिती सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत कर से छूट के लाभ के लिए पात्र है।

10. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित, कर्नाटक राज्य ने ये अपीलें की हैं। इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने महसूस किया कि स्टर्लिंग फूड्स (ऊपर) विजय लक्ष्मी काजू कंपनी (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय को एक नए रूप की आवश्यकता है के. गोपीनाथन नायर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के बाद के फैसले के आलोक में मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था, संदर्भ आदेश (2006) 3 एस. सी. सी. 338 में सूचित किया गया है। इसके बाद वृहद पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष रखा और इसलिए इस मामले को विचार के लिए हमारे समक्ष रखा गया है।

11. श्री संजय हेगड़े, विद्वान वकील ने कर्नाटक राज्य के पक्ष में रखा प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटियां की है कि निर्धारिती सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत छूट का हकदार है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) को आकर्षित करने के लिए, यह आवश्यक है कि जो माल निर्धारिती द्वारा समझौते या निर्यात आदेश का पालन करने के उद्देश्य से या निर्यात के संबंध में बेचा जाता है, वह वही माल होना चाहिए जो भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात किया जाता है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) में "वे सामान" शब्द स्पष्ट रूप से इस उप-धारा के पूर्ववर्ती भाग में उल्लिखित "किसी भी सामान" के लिए संदर्भित हैं। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि निर्धारिती द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुएँ और व्यापारी द्वारा विदेशी खरीदार को वास्तव में

निर्यात की गई वस्तुएँ बस की बॉडी नहीं थीं, बल्कि स्वयं बसें थीं, इसलिए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत छूट का लाभ निर्धारिती को उपलब्ध नहीं है।

12. विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में, स्टर्लिंग फूड्स (ऊपर) और विजयलक्ष्मी (ऊपर) में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसलों पर भरोसा रखा। समेकित कॉफी में इस न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख किया गया था। कंपनी (ऊपर), मो। सेराजुद्दीन (ऊपर), बिनानी ब्रदर्स (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 459, सतनाम विदेशी (निर्यात) अपने भागीदार के माध्यम से और अन्य बनाम भारत राज्य हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 1 एस. सी. सी. 561 और कॉफी बोर्ड, बेंगलोर बनाम संयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास और अन्य (1969) 3 एससीसी 349।

13. श्री पी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश होते हुए कहा गया कि कराधान कानून के तहत छूट का उद्देश्यपूर्ण और व्यापक रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए। उस संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत, उन अंतिम बिक्री को भी छूट दी जाती है, यदि ऐसी बिक्री ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौते या आदेश का पालन करने के उद्देश्य से थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि माल की प्रकृति की परवाह किए बिना, निर्यात आदेश को आगे बढ़ाने में की गई किसी भी अंतिम बिक्री को शामिल किया जाएगा और कोई भी अन्य निर्माण उन शब्दों के उपयोग को अनुचित बना देगा।

14. श्री सोली जे. सोराबजी प्रत्यर्थियों विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) को 1976 के संशोधन अधिनियम 103 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को ध्यान में रखते हुए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 5 (3) की एकमात्र आवश्यकता यह है कि निर्यातक

को बेचे गए सामान को पहचान खोए बिना निर्यात किया जाना चाहिए और यदि ऐसा होता है, तो अंतिम बिक्री को सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) का लाभ मिलता है।

15. श्री गुलाम ई. वाहनवती, विद्वान महान्यायवादी, न्यायालय की सहायता करते हुए कहा कि यदि अंतिम बिक्री भारत के क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, तो ऐसी बिक्री सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत छूट के लिए पात्र है। एकमात्र पूर्व शर्त यह है कि छूट को निर्यात से पहले की अंतिम बिक्री से जोड़ा जाए।

16. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच करने से पहले, 1976 के संशोधन अधिनियम 103 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करना उचित होगा, जिसके द्वारा सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) को जोड़ा गया था। उद्देश्यों और कारणों के कथन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“.....निर्यात नियंत्रण आदेशों के अनुसार, कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल राज्य व्यापार निगमों जैसी निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। अन्य मामलों में भी, वस्तुओं के निर्माताओं को, विशेष रूप से लघु और मध्यम क्षेत्रों में, वस्तुओं के निर्यात के लिए किसी अनुभवी निर्यात घराने पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि निर्यात व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। राज्य व्यापार निगम या किसी निर्यात एजेंसी को की गई वस्तुओं की बिक्री, ताकि ऐसी एजेंसी या निर्यात घराने को मौजूदा अनुबंध या आदेश के अनुपालन में उन वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम बनाया जा सके, वस्तुओं के निर्यात के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, यदि ऐसी बिक्री निर्यात के दौरान बिक्री के रूप में योग्य नहीं है, तो वे राज्य के बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होंगे और माल की कीमत में इसी तरह की वृद्धि होगी। यह हमारे निर्यात को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय

बाजारों में अप्रतिस्पर्धी बना देगा। इसलिए, चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारत के क्षेत्र से बाहर उन वस्तुओं की बिक्री या खरीद से पहले किसी भी वस्तु की अंतिम बिक्री या खरीद भी ऐसे निर्यात के दौरान मानी जाएगी, यदि ऐसी अंतिम बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात के लिए समझौते या आदेश का पालन करने के उद्देश्य से की गई थी।”

17. धारा 5 के प्रासंगिक भाग भी निकाले गए हैं। आसान संदर्भ के लिए:

“5. आयात या निर्यात के दौरान माल की बिक्री या खरीद कब होती है। - (1) बिक्री या खरीद माल की बिक्री या खरीद भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान तभी होती है जब माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बाद माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा ऐसा निर्यात किया जाता है

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

(3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर उन वस्तुओं की बिक्री या खरीद से पहले किसी भी वस्तु की अंतिम बिक्री या खरीद भी ऐसे निर्यात के क्रम में मानी जाएगी, यदि ऐसी अंतिम बिक्री या खरीद ऐसे निर्यात के लिए या उसके संबंध में समझौते या आदेश के बाद हुई थी और उसका पालन करने के उद्देश्य से की गई थी।

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

18. भारत के संविधान के अनुच्छेद 286 (1) (बी) में कहा गया है कि किसी राज्य की विधि माल की बिक्री या खरीद पर बिक्री कर नहीं लगाएगी या लगाने को अधिकृत करेगी जब ऐसी बिक्री या खरीद माल के निर्यात के दौरान होती है। अनुच्छेद 286 (2) राज्य सरकार द्वारा आयात और निर्यात पर बिक्री कर लगाने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 286 (2) संसद को यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार करने के लिए अधिकृत करता है कि बिक्री कब आयात/निर्यात के क्रम में है। माल की बिक्री या खरीद को भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में केवल तभी माना जाता है जब बिक्री या खरीद या तो इस तरह के निर्यात के अवसर पर या माल के भारत की सीमा शुल्क सीमाओं को पार करने के बाद माल को स्वामित्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण से प्रभावित होती है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 286 (1) के तहत, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या राज्य विधानमंडल द्वारा माल की बिक्री या खरीद पर कोई कर लगाया जा रहा है भारत के क्षेत्र से बाहर माल का आयात या निर्यात के दौरान। राज्य द्वारा बिक्री कर लगाए जाने का विरोध करने के लिए, निर्धारिती को भारत के क्षेत्र से बाहर निर्यात किए जाने के लिए बेचे जाने वाले माल की पहचान स्थापित करनी होगी। निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए, यदि कोई निर्यातक माल खरीदता है और कुछ प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप माल की पहचान और चरित्र में परिवर्तन होता है, तो यह उसी माल के निर्यात का मामला नहीं होगा।

19. स्टर्लिंग फूड्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एक अलग स्थिति में निश्चित रूप से "समान वस्तुओं" के सिद्धांत की वकालत की थी। उस मामले में, तथ्यों पर अदालत ने कच्चे झींगे, झींगे और झींगे और संसाधित या जमे हुए झींगे, झींगे और झींगे के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं पाया, विशेष रूप से जब व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को झींगे, झींगे और झींगे के रूप में मानते थे और सिर और पूंछ को हटाने, छीलने, तराशने और सफाई के बावजूद वे झींगे, झींगे और झींगे के रूप में अपने मूल चरित्र और पहचान को बनाए रखते थे। यह उस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने कहा कि संसाधित या जमे हुए झींगे, झींगे

और झींगे एक नई और विशिष्ट वस्तु नहीं थे और उन्होंने मूल झींगे, झींगे और झींगे के समान चरित्र और पहचान बनाए रखी।

20. विजयलक्ष्मी काजू कंपनी (ऊपर) में, हमने पहले ही कह जा चुका है कि सवाल यह था कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा बनाए गए कच्चे माल की खरीद, जिसके बाद काजू की गुठली निकाली गई और विदेशों में निर्यात की गई, राज्य बिक्री कर अधिनियम के अधीन हो सकती है। अदालत ने विस्तार से जांच की कि कच्चे काजू को किस तरह से संसाधित किया गया था। उच्च न्यायालय से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद कि कच्चे काजू से खाद्य गुठली कैसे निकाली गई और पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जांच करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गुठली विक्रेताओं द्वारा खरीदे गए कच्चे काजू के समान सामान नहीं थे। जो निर्यात किया जाता था वह खाद्य गुठली थी और जो निर्यात के उद्देश्य से खरीदा जाता था वह कच्चा काजू था। न्यायालय ने देखा कि चूंकि कच्चे काजू का उपयोग इतने सारे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और गुठली निकालने की प्रक्रिया इतनी विस्तृत है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अंतिम बिक्री में खरीदा गया माल (कच्चे काजू) वही सामान (काजू गुठली) थे जो निर्यात के लिए बेचे गए थे।

21. इस संबंध में, के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है इस न्यायालय ने कृषि आयकर और बिक्री कर उपायुक्त, एर्नाकुलम बनाम भारतीय विस्फोटक लिमिटेड (1985) 4 14 एस. सी. सी. 119, के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है जिसमें यह न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या प्रत्यर्थी-निर्धारिती रसायनों, रंगों आदि के आयात के दौरान बिक्री लेनदेन से संबंधित था। उस मामले में निर्धारिती की कार्यप्रणाली इस प्रभाव से थी कि स्थानीय खरीदार प्रत्यर्थी के साथ अपने पहले से मौजूद अनुबंधों के अनुसार अपनी आयात लाइसेंस संख्या का हवाला देते हुए आदेश देते थे। इसके बाद प्रत्यर्थी ने माल की आपूर्ति के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को आदेश दिया और ऐसे आदेशों में स्थानीय खरीदार का

नाम निर्दिष्ट किया गया, जिसके लिए माल की आवश्यकता थी और उसके लाइसेंस संख्या भी निर्दिष्ट की गई थी; वास्तविक आयात दो दस्तावेजों के बल पर किया गया था जैसे (ए) वास्तविक उपयोगकर्ता का आयात लाइसेंस और (बी) आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी प्राधिकरण का पत्र, जिसके तहत स्थानीय खरीदार को अपनी ओर से प्रत्यर्थी-निर्धारिती को माल का आयात करने, ऋण पत्र खोलने और उसमें निर्दिष्ट मूल्य की सीमा तक उक्त लाइसेंस के खिलाफ विदेशी मुद्रा का प्रेषण करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थानीय खरीदार को बिक्री और विदेशी आपूर्तिकर्ता से माल के वास्तविक आयात के बीच एक अभिन्न संबंध था। संयुक्त राज्य जैसे विदेशी देश से भारत में माल की आवाजाही पहले से मौजूद शर्तों के अनुसार थी प्रत्यर्थी-निर्धारिती और स्थानीय खरीदार के बीच बिक्री का अनुबंध में मौजूद शर्तों के अनुसार थी। यह देखा गया कि प्रत्यर्थी निर्धारिती द्वारा माल का आयात स्थानीय खरीदार के लिए और उसकी ओर से किया जाता था और प्रत्यर्थी-निर्धारिती, अनुबंध का उल्लंघन किए बिना, आयातित माल को किसी अन्य उद्देश्य के लिए मोड़ नहीं सकता था। इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आयात के क्रम में बिक्री एक होनी चाहिए और आयात के बाद पहली बिक्री और कानून, अनुबंध या आपसी समझ या लेनदेन की प्रकृति से उत्पन्न होने वाले आयात के दायित्व द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक आयात के बीच अभिन्न संबंध या अटूट संबंध होना चाहिए, जो बिक्री को आयात से जोड़ता है, जो कानून या अनुबंध या आपसी समझ का उल्लंघन किए बिना बंद नहीं किया जा सकता है।

22. अब, आइए हम संविधान पीठ के फैसले का उल्लेख करें के. गोपीनाथ नायर (ऊपर) मामले में यह न्यायालय जिस पर संदर्भ के क्रम में मजबूत निर्भरता रखी गई थी। यह सवाल उठाया गया कि क्या सी. सी. आई. से निर्धारिती द्वारा किए गए अफ्रीकी कच्चे काजू की खरीद आयात के क्रम में थी और इसलिए केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 के तहत कर के दायित्व से मुक्त थी। न्यायालय ने उस तर्क को यह कहते हुए

खारिज कर दिया कि कोई प्रत्यक्ष और पक्षकारों के बीच समझ की प्रकृति के कारण और काजू के आयात से संबंधित कैनालाइजिंग योजना के कारण भी माल की बिक्री और आयात के बीच अविभाज्य संबंध नहीं था। उस मामले में, न्यायालय मुख्य रूप से सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) की व्याख्या से संबंधित था। उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय ने कहा कि विदेशी निर्यातक और भारत में स्थानीय उपयोगकर्ताओं के बीच लेनदेन एक स्वतंत्रता नहर आयात एजेंसी के माध्यम से प्रेषित किया जाता है जो एक के बाद एक अनुबंध करता है और विदेशी निर्यातक द्वारा निर्यात और स्थानीय उपयोगकर्ताओं द्वारा भारत में आयातित वस्तुओं की प्राप्ति के बीच कोई सीधा संबंध या कारण संबंध नहीं था और इसलिए पूरे लेनदेन की अखंडता बाधित हो गई और दो स्वतंत्रता लेनदेन द्वारा प्रतिस्थापित हो गई, एक नहर सारणीबद्ध करने वाली एजेंसी और विदेशी निर्यातक के बीच, जिसने सारणीबद्ध करने वाली एजेंसी को आयातित माल का मालिक बना दिया और दूसरा सारणीबद्ध करने वाली एजेंसी और स्थानीय उपयोगकर्ताओं के बीच, जिनके लाभ के लिए नहर बनाने वाली एजेंसी द्वारा माल का आयात किया गया था। ऐसी स्थिति में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नहर बनाने वाली एजेंसी द्वारा स्थानीय उपयोगकर्ताओं को की जाने वाली बिक्री आयात के दौरान की जाने वाली बिक्री नहीं होगी, बल्कि आयात के कारण या आयात द्वारा की जाने वाली बिक्री होगी, जो इसके दायरे में नहीं आएगी। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत छूट का प्रावधान। न्यायालय ने आगे कहा कि बिक्री या खरीद को आयात के क्रम में माना जा सकता है यदि भारतीय आयातक और विदेशी निर्यातक के बीच अनुबंध की प्रत्यक्ष गोपनीयता है और मध्यस्थ जिसके माध्यम से ऐसा आयात किया जाता है, केवल भारतीय आयातक के लिए और उसकी ओर से एक एजेंट या ठेकेदार के रूप में कार्य करता है।

23. जब हम इन सभी निर्णयों का विश्लेषण करते हैं 1976 के संशोधन अधिनियम 103 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण और सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) पर रखी गई व्याख्या के आलोक में करते हैं तो निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:

निर्यात के क्रम में बिक्री का गठन करने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों की ओर से निर्यात करने का इरादा होना चाहिए;-निर्यात करने का दायित्व होना चाहिए, और एक वास्तविक निर्यात होना चाहिए।

दायित्व कानून, पक्षों के बीच अनुबंध, या उनके बीच आपसी समझ या समझौते से, या यहां तक कि लेनदेन की प्रकृति से भी उत्पन्न हो सकता है जो बिक्री को निर्यात से जोड़ता है।

अवसर पर निर्यात के लिए बिक्री अनुबंध और वास्तविक निर्यात के बीच ऐसा बंधन होना चाहिए, कि प्रत्येक संबंध उसके तुरंत पहले के अनुबंध से अटूट रूप से जुड़ा हो, जिसके बिना लेनदेन बिक्री को भारत के क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के दौरान बिक्री नहीं कहा जा सकता है।

24. 'निर्यात के दौरान बिक्री' वाक्यांश में शामिल हैं - स्वयं तीन आवश्यक बातें:(i) कि एक बिक्री होनी चाहिए:(ii) कि वस्तुओं का वास्तव में निर्यात किया जाना चाहिए और (iii) कि बिक्री निर्यात का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए और निर्यात का सामान। 'अवसर' शब्द का उपयोग एक क्रिया के रूप में किया जाता है और इसका अर्थ है 'कारण बनाना' या 'तत्काल कारण बनना'।

25. इसलिए, 'निर्यात के अवसर' शब्दों का अर्थ उन कारकों से है, जो निर्यात का तत्काल मार्ग थे। 'समझौते या आदेश का पालन करने' शब्दों का अर्थ उन सभी लेनदेनों से है जो उस निर्यात के अवसर पर समझौते या आदेश से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अभिव्यक्ति

'के संबंध में' व्यापकता के शब्द हैं, जिनका प्रत्यक्ष महत्व होने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष महत्व भी हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है और वे प्रतिबंधात्मक सामग्री के शब्द नहीं हैं और उनका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए, जो परीक्षण लागू किया जाना है, वह यह है कि क्या कोई - स्थानीय बिक्री या निर्यात पर खरीद के बीच अलग-अलग संबंध है और यदि यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच स्थानीय बिक्री या खरीद अभिन्न रूप से माल के निर्यात से जुड़ी हुई है, तो राज्य बिक्री कर से छूट के लिए धारा 5 (3) के तहत दावा उचित है, जिस मामले में, समान माल सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

26. इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लेनदेन निर्धारिती और निर्यातक के बीच श्रीलंका को माल के निर्यात के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। विदेशी खरीदार और निर्यातक के बीच संसार बताते हैं कि विदेशी खरीदार चाहता था कि विदेशी खरीदार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के तहत बस की बॉडी का निर्माण निर्धारिती द्वारा किया जाए। निर्धारिती द्वारा उत्पादित और निर्मित बस की बॉडी स्थानीय बाजार में किसी भी तरह से उपयोगी नहीं हो सकते थे, लेकिन विशेष रूप से विदेशी खरीदार के विनिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किए गए थे। निर्यातक द्वारा निर्धारिती पर रखे गए खरीद आदेश में, यह विशेष रूप से इंगित किया गया है कि बस निकायों का निर्माण विदेशी खरीदार द्वारा प्रदान किए गए विनिर्देशों के अनुसार किया जाना है, ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्यात आदेश रद्द हो सकता है। इस मामले में निर्धारिती यह दिखाने में सफल रहा है कि बस की बॉडी की बिक्री ने माल के निर्यात को प्रेरित किया है। जब निर्धारिती और निर्यातक के बीच लेनदेन और निर्यातक और विदेशी खरीदार के बीच लेनदेन एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं, तो हमारे विचार में, 'समान वस्तु' सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

27. हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि बोझ पूरी तरह से निर्धारित पर है कि माल की बिक्री या खरीद से संबंधित लेन-देन में कड़ी स्थापित करने और यह स्थापित करने के लिए कि अंतिम बिक्री निर्यातक द्वारा माल के निर्यात के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है विदेशी खरीदार, जिसे इस मामले में निर्धारिती स्थापित करने में सफल रहा है।

28. श्री टी. एस. नरसिम्हा, विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि माल की प्रकृति की परवाह किए बिना, निर्यात को आगे बढ़ाने में की गई किसी भी अंतिम बिक्री को भी शामिल किया जाएगा, यह स्वीकार करने के लिए बहुत लंबा प्रस्ताव है। यह सब इस सवाल पर निर्भर करता है कि क्या बिक्री या खरीद अभिन्न रूप से माल के निर्यात से जुड़ी हुई है और न कि एक दूरस्थ संपर्क जैसा कि वकील द्वारा प्रस्तावित करने की कोशिश की गई है। अंतिम बिक्री और वस्तुओं के निर्यात के बीच का संबंध सामयिक, आकस्मिक या दैवाधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक, अंतरंग और परस्पर जुड़ा होना चाहिए, जो निर्यातक के विदेशी खरीदार और स्थानीय निर्माता के साथ समझौते की प्रकृति, लेनदेन की एकीकृत प्रकृति और अंतिम बिक्री और निर्यात बिक्री के बीच संबंध पर निर्भर करता है।

29. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम हैं इस बात से संतुष्ट हैं कि निर्धारिती उन परीक्षणों को संतुष्ट करने में सफल रहा है और इसलिए, सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत छूट के लिए पात्र है।

30. इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय में कोई त्रुटियां नहीं पाते हैं यह घोषणा करते हुए कि निर्धारिती सी. एस. टी. अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत छूट का हकदार है। तदनुसार संदर्भ का उत्तर दिया जाता है और अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।